फा.सं.25-I(05)/2023-एएचडी/एआर
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
*****

मार्च, 2023 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां।

1. गोपशु और डेयरी विकास:

i. पशुपालन और डेयरीविभाग के किसान क्रेडिट कार्ड को अधिकतमकिसानों तक पहुंचाने के लिए, विभाग ने दिनांक 01.05.2023 से 31.03.2024 तक राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ़ केसीसी अभियान को जारी रखने के लिए दिनांक 13.03.2023 को परिपत्र जारी किया है।

2. पशुधन स्वास्थ्य

i. विभाग ने खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु यूरोपियनकमीशन (ईयू-एफएमडी) और एफएओ की पशु स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन रोकथाम प्रणाली (ईएमपीआरईएस-एएच) द्वारा दिनांक 14.3.2023 से 16.3.2023 के दौरान लंपी त्वचा रोग – रोग प्रबंधन और नियंत्रण में विज्ञान कैसेसहायता कर सकता है,पर आयोजितसंगोष्ठी में भाग लेने के लिए संबंधित अधिकारी को नामित किया।

ii. विभाग ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 10-11 मार्च 2023 के दौरान"बिल्डिंग लोकल रिजीलिएंस इन ए चेंजिग क्लाइमेट"विषय पर आयोजित एनपीडीआरआर (आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए संबंधित अधिकारी को नामित किया।

iii. राजस्थान राज्य में ग्लैंडर्स की घटना की पुष्टि होने पर, विभाग ने राज्य को रोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए जू-स्वच्छता उपायों को अपनाने, संक्रमित क्षेत्र से घोड़ों की आवाजाही की निगरानी/ उसे प्रतिबंधित करने के संबंध में बताया।

iv. झारखंड में एवियन इन्फ्लुएंजा केप्रकोप की पुष्टि होने पर, विभाग ने राज्य को परामर्शी जारी की और एवियन इन्फ्लुएंजा के समय पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य की सहायता करने और रोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय टीम तैनात की।

v. पश्चिम बंगाल में लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) घटना की पुन: आवृति संबंधी पुष्टि होने पर, विभाग ने एलएसडी के समय पर नियंत्रण और रोकथाम तथारोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए राज्य को परामर्शी और दिशानिर्देश जारी किए।

vi. विभाग ने,वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 13-15 मार्च 2023 के दौरान विश्व व्यापार संगठन और विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीओएस) तथा व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल)के सहयोग से वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित,व्यापार की तकनीकी बाधाओं संबंधी डब्ल्यूटीओ कीराष्ट्रीय कार्यशालामें भाग लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को नामित किया।

vii. विभाग ने एलएसडी के संभावित प्रसार को रोकने के लिए मानसून की शुरुआत से पहले सभी अतिसंवेदनशील और पात्र गोपशुओं के टीकाकरण सहित निवारक उपाय करने के लिए सभी राज्यों को एलएसडी संबंधी वार्षिक टीकाकरण योजना के साथ परामर्शी जारी कीहै।

viii. विभाग ने दिनांक 30.3.2023 को वर्चुअल रूप से महामारी विज्ञान और स्ट्रेन के प्रकार से संबंधित द्विपक्षीय न्यूजीलैंड-भारत तकनीकी आदान-प्रदान बैठक का आयोजन किया।

ix. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत अब तक संचयी आधार पर 25.01 करोड़ गोपशुओं और भैंसों को ईयर टैग किया गया है तथा24.01 करोड़ गोपशुओं और भैंसों को एफएमडी (चरण- II) के लिए टीका लगाया गया है। कुल 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एफएमडी चरण-II टीकाकरण पूरा कर लिया है (जिसमें 30 राज्यों ने क्लोजर रिपोर्ट साझा की है और 4 राज्यों ने टीकाकरण पूरा कर लिया है लेकिन क्लोजर रिपोर्ट जमा नहीं की है), सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में टीकाकरण चल रहा है। इसके अलावा, चरण (III) में, 5 राज्यों को आपूर्ति किए गए 4.36 करोड़ टीकों के मुकाबले3.34 करोड़ टीकाकरण किया गया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, ब्रुसेलोसिस के लिए1.98 करोड़ संचयी टीकाकरण किया गया है। मार्च 2023माहके दौरान लगभग 0.29 करोड़ पशुओं को एफएमडी के लिए टीका लगाया गया था और 12 लाख बोवाईनबछड़ियों को ब्रुसेलोसिस के लिए टीका लगाया गया था।

3 . अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी):

i. पशुपालन आयुक्त ने दिनांक 6-12 मार्च, 2023 के दौरान इथियोपिया में अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई) परिसर में "चरागाही (पेस्टोरलिज़्म) नीति सप्ताह" में भाग लिया।

ii. पशुपालन आयुक्त ने दिनांक 22-24 मार्च, 2023 के दौरान थाईलैंड में आयोजित ''ग्रेटर मेकांग उपक्षेत्र (जीएमएस) की सीमाओं के पार, जैविक और पर्यावरणीय खतरों के लिए क्रॉस एजेंसी प्रतिक्रियाओं में सुधार''संबंधी बैठक में भाग लिया।

iii. पशुपालन आयुक्त नेदिनांक 7.3.2023 को,अमेरिकी दूतावास में कृषि मामलों के मिनिस्टर काउंसलर श्री रॉन वेरडोंक के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की, जिसमें पशु आनुवंशिकी, गोपशु पशु यूथ प्रबंधन और पशु टैगिंग पर विशेष जोर देते हुएदोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान, भारतीय पक्ष ने यूएसए को भारतीय भैंस के मांस और एसपीएफ अंडे के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाया।

iv. पशुपालन आयुक्त नेदिनांक 22.03.2023 को माननीय मंत्री, एफ़एएचडीकी न्यूजीलैंड यात्रातथा पशुपालन क्षेत्र से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए भारत में न्यूजीलैंडकेउच्चायुक्त, महामहिम डेविड पाइन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ दोनों देशों के बीच सहयोगको सुदृढ़ करने हेतुबैठक की।

v. कनाडा से भारत को जीवित सुअर, सूअर का मांस और पोर्क उत्पादों और जीवितबोवाइन के निर्यात पर चर्चा करने के लिए दिनांक 1.3.2023 को संयुक्त सचिव (व्यापार/आईसी) और डॉ पार्थिबन मुथुकुमारासामी,कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी, कार्यकारी निदेशक - अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशालय के नेतृत्व में कनाडाई प्रतिनिधिमंडल के बीच एक तकनीकी बैठक आयोजित की गई।इसी तरह, भारतीय पक्ष ने भी डेयरी उत्पादों पर विशेष जोर देते हुए भारतीय पशु मूल के उत्पादों की बाजार पहुंच के मुद्दे को उठाया।

vi. एफएसएसएआई और डीएएचडी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अध्ययन दौरे और पशु स्वास्थ्य संबंधी टीडब्ल्यूजी बैठक पर चर्चा करने के लिए दिनांक 03.03.2023 को संयुक्त सचिव (व्यापार/आईसी) और सुश्री मारिया फ्लैडल, फर्स्ट काउंसलर, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

vii. भारत और रूस के बीच बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 15.3.2023 को संयुक्त सचिव (व्यापार/आईसी) और रूसी कृषि मंत्रालय के अपर सचिव श्री मैक्सिम मार्कोविच के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई। रूसी पक्ष ने पोल्ट्री उत्पादों, मत्स्य और मत्स्य उत्पादों, डेयरी, पैट फूडकी बाजार पहुंच और निर्यात करने वाले संयंत्रों के पारस्परिक निरीक्षण के संबंध में चर्चा की। इसी तरह, भारतीय पक्ष ने भारतीय भैंस के मांस, कुक्कुट उत्पादों और डेयरी उत्पादों के बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाया।

viii. संयुक्त सचिव (व्यापार/आईसी) और श्री किरण करमिल, कृषि काउंसलर, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के बीच दिनांक 16.3.2023 को एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय भैंस के मांस और डेयरी उत्पादों की बाजार पहुंच शामिल है। इसी तरह, उक्त बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत में पैट फूड, बोवाइन वीर्य और भ्रूण के निर्यात के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

4. पशु कल्याण:

i. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2023 बाईस साल बाद प्रकाशित हुआ। इससे कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कुत्तों की नसबंदी की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी।

ii. पोल्ट्री पक्षियों के लिए जगह की आवश्यकता को विनियमित करने के लिए पहली बार पशुओं के नियंत्रण की रोकथाम (अंडे देने वाली मुर्गियां) नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया।

iii. पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के तहत गठित पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी समिति के काम करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पहली बार,परीक्षणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण संबंधी समिति (प्रशासन) नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं।

iv. कुछ पशुपालन सेवाओंके लिए झोलाछाप प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुपालन प्रथाएं) नियम, 2023 प्रकाशितकिए गए।

5. व्यापार :

श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर भारत से श्रीलंका को खाने वाले अंडों (टेबल एग्स) का निर्यात शुरू कर दिया गया है।

6. बजट:

वर्ष 2022-23 के लिए मार्च, 2023 तक 2774.02 करोड़ रुपये के अंतिमअनुदान के मुकाबलेव्यय 2660.93 करोड़ रुपये था। मार्च, 2023 माह के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग का व्यय 691.93 करोड़ रुपये था।

7. सोशल मीडिया कार्यकलाप:

माह के दौरान विभाग के ट्वीटर पेज को 98, 982 फॉलोअर्स द्वारा देखा गया। सोशल मीडिया कार्यकलापों के तहत183 रचनात्मक पोस्ट किए गए, 197 ट्वीट और 1528 री-ट्वीट किए गए, 1 वीडियो और जीआईएफ बनाया गया। विभाग के फेसबुक पर 1,33,416 फॉलोअर्स थे। विभाग के कू अकाउंट पर1,19,300 फॉलोअर्स हैं। मार्च, 2023 के अंत तक लिंक्डइन के 1728 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम के 1,386 फॉलोअर्स हो गए हैं।

******